न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14 / 26 / 2014	2014 / 66	10—11—2014	27—10—2022

01— कैलाशी उर्फ कैलाश पत्नी स्व0 मंगल हाल पत्नी स्व0 दुलीचन्द जाति माली निवासी ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)

अपीलान्ट

01— तहसीलदार (कस्टोडियन) रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)

असल रेस्पोडेन्ट

02— राजेन्द्र पुत्र स्व0 मंगल जाति माली निवासी ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)

03— अनारो पुत्री स्व0 मंगल जाति माली निवासी ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)

05— बन्नी पुत्र नानगराम जाति जाट निवासी साजनपाडा तहसील कठूमर जिला अलवर (राजस्थान)

06— चमेली पुत्री स्व0 मंगल जाति माली निवासी ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार (कस्टोडियन) रामगढ दिनांक 10.10.2011 जिसके द्वारा आराजी खसरा न0 652 रकबा 0.30 है0 656 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम मादला कला तहसील रामगढ का पटटा संख्या 6371 दिनाक 19.10.2011 जारी किया गया है।

उपस्थितः—

01 — श्री अशोक कुमार मुदगल —वकील अपीलान्ट
02 — श्री शक्ति सिंह राधव — वकील रेस्पोडेन्ट 2 लगा. 04
03— श्री दीपक मीना —राजकीय अभिभाषक

—:निर्णयः—

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार (कस्टोडियन) रामगढ के आदेश दिनांक 10.10.2011 जिसके द्वारा आराजी खसरा न0 652 रकबा 0.30 है0, 656 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम मादला कला तहसील रामगढ का पटटा संख्या 6371 दिनाक 19.10.2011 जारी किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी हाल खसरा न0 652 रकबा 0.30 ऐयर, 656 रकबा 0.19 किस्म बारानी वाके ग्राम मांदला कला तहसील रामगढ की भूमि मिन अपीलान्ट के ससुर व

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

तरतीबी रेस्पोडेन्ट के बाबा गिरवर पुत्र ग्यासी जाति माली की खातेदारी की आराजी थी, जिस पर मेरे ससुर गिरवर का कब्जा काश्त चला आ रहा था व उनकी मृत्यु के बाद मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 04 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट के पति व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 04 के पिता मंगल का भी देहान्त हो चुका है। तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने उक्त आराजी को गैरखातेदारी से खातेदारी का पटटा जारी करने के लिए अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर बाद जॉच मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में खातेदारी अधिकार देने के अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनाक 14.10.2011 को आदेश प्रदान किये गये व पटटा संख्या 6371 दिनाक 19.10.2011 को जारी किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी का खातेदारी का पटटा तो सही जारी कर दिया किन्तु अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट की वल्दीयत गलत दर्ज कर दी क्योकि जब पटवारी हल्का व कानूगो जब जॉच हेतु आये तो मिन अपीलान्ट जो वृद्व व अशिक्षित महिला है व उस समय बिमार थी अपने पति स्व0 मंगल व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के पिता स्व0 मंगल के स्थान पर अपने ससुर व तरतीवी प्रतिवादीगण के बाबा स्व0 गिरवर का नाम बता दिया तथा जिसके आधार पर वल्दीयत का पटटा जारी कर दिया गया। वल्दीयत में मिन अपीलान्ट के पति स्व0 गिरवर के स्थान पर मंगल दर्ज होना चाहिये। यह गलती अपीलान्ट के वृद्व होने, अशिक्षित होने व बिमार होने के कारण हुई है। इसमें मिन अपीलान्ट की कोई दुर्भावना किसी प्रकार की नही है। पारित आदेश की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, दिनाक 27.02.2012 को हुयी जिस पर दुसरे दिन दिनाक 28.02.2012 को अधिनस्थ न्यायालय में नकल लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो नकल उसी दिन प्राप्त हो गयी व उसके बाद कानूनी सलाह ली जाकर बिना देरी किये यह अपील पेश की गयी है, दिनाक 10.10.2011 से दिनाक 27.02.2012 तक का समय लाइल्मी में निकला है, तथा उसके पश्चात का समय नकल लेने व कानूनी सलाह मशवरा लेने में निकला है, जो समय मुजरा दिये जाने योग्य है, इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम का पेश कर अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि शुमार की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 10.10.2011 को निरस्त कर पटटा संख्या 6371 दिनाक 19.10.2011 में अपीलान्ट के पति स्व0 गिरवर के बजाय स्व0 मंगल व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 04 के पिता स्व0 गिरवर के स्थान पर स्व0 मंगल दर्ज कर संशोधित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते करते हुए जाहिर किया है कि तहत अदालत ने विधिवत जॉच कर निर्णय पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 19.10.2011 पटटा संख्या 6371 बाद जॉच कर निर्णय पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2011 पटटा संख्या 6371 दिनाक 19.10.2011 के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 13.03.2012 को पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 19.10.2011 की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 27.02.2012 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट का मुख्य कथन है, विवादित आराजी का पटटा हेतु आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर बाद जॉच मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में खातेदारी अधिकार हेतु दिनाक 14.10.2011 को आदेश प्रदान किये गये व पटटा संख्या 6371 दिनाक 19.10.2011 को जारी किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने खातेदारी का पटटा तो सही जारी कर दिया किन्तु अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट की वल्दीयत गलत दर्ज कर दी क्योकि जब पटवारी हल्का व कानूगो जब जॉच हेतु आये तो मिन अपीलान्ट जो वृद्व व अशिक्षित महिला है व उस समय बिमार थी अपने पति स्व0 मंगल व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के पिता स्व0 मंगल के स्थान पर अपने ससुर व तरतीबी प्रतिवादीगण के बाबा स्व0 गिरवर का नाम बता दिया तथा जिसके आधार पर वल्दीयत का पटटा जारी कर दिया गया। वल्दीयत में मिन अपीलान्ट के पति स्व0 गिरवर के स्थान पर मंगल दर्ज होना चाहिये। यह गलती अपीलान्ट के वृद्व होने, अशिक्षित होने व बिमार होने के कारण हुई है। इसमें मिन अपीलान्ट की कोई दुर्भावना किसी प्रकार की नही है। पत्रावली का अवलोकन किया वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु कोई वैधानिक दस्तावेज पेश नही किये गये है, जिनके अभाव अपील में वर्णित कथनो पर विस्वाश नही किया जा सकता है। यहा यह भी उल्लेखनिय है, कि अपीलान्ट राजेन्द्रकौर द्वारा एक अपील पटटा संख्या 6371 दिनाक 19.10.2011 के विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के यहा पेश की गयी थी जिसका न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा उक्त अपील का निर्णय दिनाक 19.09.2019 के द्वारा सनद पटटा संख्या 6371 दिनाक 19.10.2011 को निरस्त किया जा चुका है, जिससे उक्त विचाराधीन अपील में वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)